सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

संख्या-32/सू0अ0-02/84-डे0ई0-14-नि0-41/2009

प्रेषक,

धर्मचन्द्र पाण्डेय,
अनु सचिव/जनसूचना अधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप डे0ई0 लखनऊ :: दिनांक 23 जनवरी, 2014

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदक को सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित श्री छत्रपति सिंह नेगी, ग्राम कुसुमखेड़ा गायत्री नगर फेस-।, हल्द्वानी, जिला नैनीताल द्वारा की गयी अपील दिनांक 12-01-2014 की छाया प्रति शासन के पत्र संख्या-35/सू0अ0-04/84-डे0ई0-13-नि0-41/2009 दिनांक 22-10-2013 एवं पत्र संख्या-18/सू0अ0-01/84-डे0ई0-14-नि0-41/2009 दिनांक 01-01-2014 के संदर्भ में संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आवेदक श्री छत्रपति सिंह नेगी द्वारा माँगी गयी सूचनायें निगम से संबंधित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 05 की धारा-6(3) के अन्तर्गत आवेदक का पत्र दिनांक 14-10-2013 आपको इस आशय के साथ अन्तरित किया गया था कि आवेदक को निर्धारित अवधि के अन्दर सूचनायें सीधे उपलब्ध कराकर उसकी प्रति शासन को उपलब्ध करायें, किन्तु आवेदक को निगम के जनसूचना अधिकारी द्वारा समयान्तर्गत सूचनायें उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं। अतः कृपया आवेदक को उनके पत्र दिनांक 14-10-2013 में माँगी गयी सूचनायें उन्हें दो दिवस के अन्दर उपलबध कराकर उसकी एक प्रति शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा अधिनियम की धारा-5(5) के अन्तर्गत जनसूचना अधिकारी के रूप में आप उत्तरदायी होगें।

संलग्नक :: यथोपरि ।

भवदीय,

(धर्म चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव/जनसूचना अधिकारी ।

संख्या एवं दिनांक तदैव ।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि श्री छत्रपति सिंह नेगी, ग्राम कुसुमखेड़ा गायत्री नगर फेस-।, हल्द्वानी, जिला नैनीताल को उनके पत्र दिनांक 12-01-2014 के संदर्भ में इस आशय से प्रेषित कि अपेक्षित सूचनायें सीधे अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, जवाहर भवन, लखनऊ से प्राप्त करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(धर्म चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव/जनसूचना अधिकारी।

http://shasanadesh.up.nic.in/